BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 529 OF 2023

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ... RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF ACS, ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH DISCLOSING THE TIME-BOUND PROGRAM FOR COMPLETING THE PROCESS LEADING TO ISSUANCE OF FINAL NOTIFICATION UNDER SECTION 26 FOR THE PURPOSE OF DECLARING THE ENTIRE STIPULATED AREA TO BE A PART OF THE BIRD SANCTUARY.	1 - 5
2.	**ANNEXURE NO-1, 2 & 3** COPIES OF LETTERS OF THE GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH DATED 04.12.2023, 24.01.2024 & 07.02.2024.	6 - 9
3.	**ANNEXURE NO-4** A COPY OF THE MEMORANDUM NO. 1013/10-1 DATED 15.11.2023.	10
4.	**ANNEXURE NO-5** A COPY OF THE OFFICE LETTER HAVING NUMBER 1040/10-1 DATED 17.11.2023.	11
5.	**ANNEXURE NO-6** A COPY OF THE LETTER BEARING NO. E-881/10-2-8 DATED 17.11.2023.	12
6.	**ANNEXURE NO-7** A COPY OF THE OFFICE LETTER BEARING NUMBER 1055/10-1 DATED 20.11.2023.	13

7.	**ANNEXURE NO-8** A COPY OF THE LETTER BEARING NO. 185 (CAMP OFFICE)/10-1 DATED 30.12.2023.	14
8.	**ANNEXURE NO-9** A COPY OF THE LETTER BEARING NO. 44A/DLRC DATED 24.01.2024.	15

FILED ON BEHALF OF:

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY,

FOREST DEPARTMENT

STATE OF UTTAR PRADESH

1

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 529 OF 2023

IN THE MATTER OF:

DR. SHARAD GUPTA ... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ... RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE ADDITIONAL CHIEF SECRETARY, FOREST DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH

I, Manoj Singh S/o Late Shri Survyay Singh aged about 59 years presently posted as Additional Chief Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, State of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the incumbent in the office of Additional Chief Secretary, Forest Department, State of Uttar Pradesh being the Respondent No. 5 and well conversant with the facts and circumstances of the present matter.
2. That the office of Additional Chief Secretary, Forest Department, State of Uttar Pradesh is filing this affidavit to place on record the time-bound program for completing the process leading to issuance of final notification under Section 26 for the purpose of declaring the entire stipulated area to be a part of the Bird Sanctuary.
3. The present Affidavit is being filed in compliance with the order dated 01.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original

Application No. 529 of 2023 which encompasses the streamlining of the boundaries of Sur Sarovar Bird Sanctuary, Keetham, Agra, Uttar Pradesh.

4. That the Government of Uttar Pradesh has issued instructions to District Magistrate, Agra and the concerned officers of the Forest Department to take actions as per the timelines filed in Hon'ble NGT vide Letters dated 04.12.2023, 24.01.2024 and 07.02.2024. The copies of the above letters are enclosed herewith as **Annexure No.-1, 2 & 3**.

5. That as informed to the Government by the District Administration, Agra and the Deputy Conservator of Forest, National Chambal Sanctuary Project, Agra, following steps have been taken with respect to the time bound plan regarding final notification of Sur Sarovar Bird Sanctuary covering an area of 403.09 ha and notification of intent of notifying and including 15.415 ha area as part of Sur Sarovar Bird Sancutary:

S. NO.	DATE	PARTICULARS
1.	**15.11.2023**	A 4-member district level committee was formed to conduct on-site investigation, joint survey, demarcation, joint verification of survey along with number wise details, maps after due demarcation and survey by Memorandum No. 1013/10-1 dated 15.11.2023 of District Magistrate, Agra, Uttar Pradesh. A copy of the Memorandum No. 1013/10-1 dated 15.11.2023 is enclosed herewith as **Annexure No.-4**.
2.	**17.11.2023**	In compliance to the order dated 06.11.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, the Deputy Conservator of Forest, National Chambal Sanctuary Project, Agra, Uttar Pradesh after the guidance of the District Magistrate, Agra, Uttar Pradesh *vide* office letter bearing number 1040/10-1 dated 17.11.2023 made a request from the Chief Conservator of Forest, Wildlife Western Region, Kanpur, Uttar Pradesh to provide 04 departmental surveyors, to assist district level committee for the survey of 403.09 hectares which is the notified land of Sur Sarovar Bird Sanctuary and area of 15.415 ha to be included in the Sanctuary.

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

		A copy of the office letter having number 1040/10-1 dated 17.11.2023 is enclosed herewith as **Annexure No.-5**.
3.	**17.11.2023**	The Chief Conservator of Forest, Wildlife, Western Region, Kanpur, Uttar Pradesh *vide* his office letter number 1046/10-1 dated 17-11-2023, made a request to the Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife, Lucknow, Uttar Pradesh to deploy departmental surveyors. In light of this, the Principal Chief Conservator of Forest and Head of Department, Lucknow, Uttar Pradesh, passed an order *vide* letter no. E-881/10-2-8 dated 17.11.2023 to deploy 03 departmental surveyors. A copy of the letter bearing no. E-881/10-2-8 dated 17.11.2023 is enclosed herewith as **Annexure No.-6.**
4.	**20.11.2023**	By the office letter bearing number 1055/10-1 dated 20.11.2023 of the Deputy Conservator of Forest, National Chambal Sanctuary Project, Agra, Uttar Pradesh correspondence was sent to Circle Agra, Circle Meerut, and Kanpur Division to release the concerned surveyors working under them to this division. A copy of the office letter bearing number 1055/10-1 dated 20.11.2023 is enclosed herewith as **Annexure No.-7**.
5.	**30.12. 2023**	Deputy Conservator of Forest, National Chambal Sanctuary Project, Agra, Uttar Pradesh *vide* letter no. 185 (camp office)/10-1 dated 30.12.2023, submitted all the records and report related to the survey of 403.09 hectares land of the Sur Sarovar Bird Sanctuary and also for the additional area of 15.415 ha along with the field book and map to the District Magistrate, Agra for detailed examination. A copy of the letter bearing no. 185 (Camp Office)/10-1 dated 30.12.2023 is enclosed herewith as **Annexure No.-8**.

6. That with respect to final notification of Sur Sarovar Bird Sanctuary including area 403.09 ha under Section 26(A)(1)(a) and notification of intention of declaration of Sanctuary including area 15.415 ha under Section 18(1) of Wildlife (Protection) Act, 1972, the whole area has been surveyed for determining boundaries and preparation of

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

the boundary details and maps required for notification. That it is informed by the District Magistrate, Agra vide letter dated 24.01.2024 that during the survey, an overlap of area of plot no. 18 of village Runakta measuring 0.980 ha has come under notice which appears to have been already included in the map of Surdas Forest Block of area 380.558 ha. The District Magistrate, Agra has further informed that this matter needs to be further examined on the basis of original land records and resurveying of the whole area is also required. The copy of the letter of District Magistrate, Agra dated 24.01.2024 is enclosed herewith as **Annexure No.-9**.

7. That with respect to the direction of Hon'ble Tribunal dated 06.11.2023 for notifying 380.558 ha area of Surdas Forest Block of Reserved Forest, the proposal has been received in the Government and is under examination. The process for declaration of Sanctuary at the Government level involves seeking opinion of different departments including the Law Department. The Government is taking necessary steps by duly following the procedures for including this area in the Sur Sarovar Bird Sanctuary as per the timelines filed in Hon'ble Tribunal.

PRAYER

In light of the aforesaid, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi may be pleased to allow the present affidavit filed on behalf of the Additional Chief Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, State of Uttar of Pradesh be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

OATH COMMISSIONER
COURT, ALLAHABAD

5

OATH COMMISSIONER

OATH COMMISSIONER

Verified at ~~New Delhi~~ Lucknow on this 13 day of February, 2024 at 11:00 AM that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

OATH COMMISSIONER

DEPONENT

Deponent identified by Sri R.K. Mishra CSC Office Lucknow

OATH COMMISSIONER

OATH COMMISSIONER

Clerk

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

OATH COMMISSIONER
High Court Allahabad
Lucknow Bench
13-2-24

No. 0126511
Date 13-2-2024

Annexure No-1 6

महत्वपूर्ण/कोर्ट-केस

संख्या-1417/81-4-2023

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक दिसम्बर, 2023

विषय- सूर-सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ०ए०सं० 529/2023 में पारित आदेश के क्रम में प्रति-शपथ-पत्र दाखिल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-150/10-1 दिनांक 25.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सूर-सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा के सीमाओं का सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ०ए०सं० 529 / 2023 में दिनांक 21.11.2023 को पारित आदेश के सम्बन्ध में पारिजात कक्ष में सम्पन्न बैठक में शपथ-पत्र के आलेख पर विचार-विमर्श के उपरान्त प्राप्त निर्देशानुसार प्रति शपथ-पत्र का आलेख्य उपलब्ध कराते हुए संस्तुति सहित शासन स्तर पर उक्त शपथ-पत्र का अनुमोदन किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत उक्त प्रति शपथ-पत्र के आलेख्य पर अपर मुख्य सचिव महोदय का हस्ताक्षर प्राप्त होने के उपरान्त प्रति शपथ-पत्र विशेष पत्र वाहक के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर तथा उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रति शपथ-पत्र में अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2023 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निहित टाइमलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव पूर्ण विवरण/ संस्तुति सहित समयबद्ध रूप से शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Digitally Signed by रवि शंकर मिश्र
Date: 04-12-2023 12:15:59
Reason: Approved

भवदीय
(रवि शंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

2-जिलाधिकारी, जनपद आगरा।

3- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर प्रति शपथ-पत्र योजित कराने का कष्ट करें एवं वाद/प्रकरण से सम्बन्धित समस्त सम्बन्धितो/अधिकारियों को भी स्वस्तर से वाद की वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

4-उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5- प्रभागीय वनाधिकारी आगरा/मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट-केस, लखनऊ उ0प्र0।

6- श्री भँवर सिंह जादौन, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को प्रति शपथ-पत्र योजित किए जाने/प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

Annexure No-2 8

अति महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या-1702/81-4-2023

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी 2024

विषय- सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1714/10-1 दिनांक 27.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासकीय पत्र संख्या-1417/81-4-2023 दिनांक 4.12.2023 के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या-529/2023 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2023 के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय की ओर से दाखिल शपथ-पत्र में निहित टाइम लाइन के अनुक्रम में सूरदास वन प्रभाग, आरक्षित वन क्षेत्र के कुल 380.558 हे0 वन क्षेत्र को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-26 ए(1बी)के अधीन अधिसूचित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा की सीमाओं का सुव्यवस्थीकरण तीन भागों में (403.09 हे0+15.415 हे0+380.558 हे0=799.063 हे0) किया जाना है। जबकि प्रस्ताव में मात्र सूरदास वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र के कुल 380.558 हे0 वन क्षेत्र को ही सम्मिलित करते हुए अधिसूचना का आलेख्य निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव में अन्य भागो के संविलियन के संबंध में कोई सूचना/विवरण उपलब्ध नही कराया गया है। इसके अतिरिक्त सूरदास वन प्रभाग, आरक्षित वन क्षेत्र के कुल 380.558 हे0 वन क्षेत्र को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 की धारा-26 ए(1बी)के अधीन सम्मिलित करते हुए सूर सरोवर पक्षी विहार की सीमा का विस्तृत विवरण, जिसमें ग्रामों की सूची एवं गाटा संख्या का भी उल्लेख हो, उपलब्ध नही है। इस प्रकार प्रस्ताव अपूर्ण/अस्पष्ट है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रस्तर-2 में अंकित बिन्दुओं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्ण विवरण एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव 2 दिनों के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शपथ-पत्र में निहित टाइम लाइन का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(रवि शंकर मिश्र)

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

Annexure No-3 9

अति महत्वपूर्ण/अनुस्मारक

संख्या-1702(1)/81-4-2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक फरवरी 2024

विषय- सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1702/81-4-2023 दिनांक 24.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सूर सरोवर पक्षी विहार कीठम, आगरा की सीमाओं के सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या-529/2023 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2023 के अनुपालन हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय की ओर से दाखिल शपथ-पत्र में निहित टाइम लाइन (दिनांक 31.03.2024) के अनुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु कतिपय बिन्दुओं के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्ण विवरण एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव 2 दिनों के अन्दर शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

2- अवगत कराना है कि वांछित आख्या अभी तक शासन में अप्राप्त है, जबकि मा0 एन0जी0टी0 से आच्छादित होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण में समयबद्ध रूप से कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य है।

अतः इस संबंध में मुझे यह अनुस्मृत कराने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त पत्र दिनांक 24.01.2024 द्वारा अपेक्षित आख्या पूर्ण विवरण एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष की संस्तुति सहित आज ही शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि शपथ-पत्र में निहित टाइम लाइन का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

Digitally Signed by आशीष तिवारी
Date: 07-02-2024 14:41:46
Reason: Approved

भवदीय

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में तत्काल यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

OATH COMMISSIONER High Court, ALLAHABAD

Annexure No-41

10

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 06-11-2023 एवं उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1251/81-4-2023 दिनांक 30-10-2023 के निर्देशों के अनुपालन में सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित भूमि 403.09 हे0 के फाइनल नोटिफिकेशन हेतु संयुक्त सर्वे, सीमांकन के पश्चात गाटावार विवरण एवं मानचित्रों का संयुक्त सत्यापन किया जाना है।

अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा संयुक्त सर्वे सीमांकन कराने हेतु उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0 आगरा की अध्यक्षता में निम्नवत समिति गठित की जाती है:-

1	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा	अध्यक्ष
2	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) आगरा	सदस्य
3	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा	सदस्य
4	उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा	सदस्य

उक्त समिति प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों का परीक्षण करते हुए मौके की पैमाइश एवं अन्य विधिक बिन्दुओं का परिशीलन करते हुए अपनी आख्या दिनांक 31.12.2023 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

15/11/23
(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी, आगरा

O/C

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा

पत्रांक 1013 /10-1 दिनांक - 15-11-2023

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप जिलाधिकारी, किरावली, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/11/23
(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी, आगरा

O/C

OATH COMMISSIONER ... ALLAHABAD

Annexure No-5

11

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा।

पत्रांक 1040 /10–1 आगरा, दिनांक, नवम्बर, 17 ,2023

(Email: dfochambal@gmail.com, dfochambal@rediffmail.com)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र,
उ0प्र0 कानपुर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ0ए0सं0 529/2023 (डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अर्न्तगत दिनांक 24.08.2023 को पारित ओदश के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा की सीमाओं एवं सीमाबद्ध क्षेत्र का सुव्यवस्थीकरण किया जाने हेतु विभाग को सर्वेयर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 589/23–1 दिनांक 16–09–2023 एवं दिनांक 1011/10–1 दिनांक 14–11–2023

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ0ए0सं0 529/2023 (डॉ0 शरद गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) के अर्न्तगत दिनांक 06.11.2023 को पारित ओदश के अनुपालन में सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा की सीमाओं एवं सीमाबद्ध क्षेत्र का सुव्यवस्थीकरण किया जाना है। इसी कम में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा तीन सप्ताह के अन्दर सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम, आगरा का फाइनल नोटिफिकेशन कार्य पूर्ण होने का टाइम बाउण्ड प्लान मांगा गया है, जिसे **शपथ पत्र** के तौर पर दाखिल किया जाना है।

महोदय को सादर अवगत कराना है कि प्रकरण अति महत्वपूर्ण है एवं उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के मागदर्शनोपरान्त जनपद स्तरीय समिति गठित की गयी, जिसके द्वारा 31–12–2023 तक सूर सरोवर पक्षी विहार अधिसूचित भूमि 403.09हे0 की मौके पर पैमाइश की जानी है। इसके क्रियान्वयन हेतु 04 विभागीय सर्वेयर की इस प्रभाग में अत्यन्त आवश्यकता है ताकि इस प्रभाग स्तर पर चल रहे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के ओ0ए0सं0 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 06–11–2023 का ससमय अनुपालन किया जा सके।

अतः रिपोर्ट सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीया,

(आरूषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

पत्रांक 1040 / 10–1 ,उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आरूषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

c.c general letters/Banani

OATH COMMISSIONER ... ALLAHABAD

Annexure No – 6

12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
कार्यालय आदेश संख्या–ई–52 /10–2–8, दिनांक : लखनऊ : नवम्बर, 17, 2023 ।

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में आगरा जनपद स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार, कीठम का सर्वे कार्य तत्काल कराया जाना है। उक्त सर्वे कार्य हेतु निम्न सर्वेयरों को लगभग एक माह/कार्य पूर्ण होने तक उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा के नियंत्रणाधीन सम्बद्ध/तैनात किया जाता है–

कम संख्या	सर्वेयर का नाम (सर्वश्री)	नियमित तैनाती का मण्डल/वृत्त
1	संजीव कुमार यादव	आगरा वृत्त, आगरा
2	विजय सिंह	मेरठ वृत्त, मेरठ
3	कृष्ण पाल सिंह	कानपुर मण्डल, कानपुर

उक्त सर्वेयरों के वेतन आदि का भुगतान उनके नियमित तैनाती कार्यालय से किया जाता रहेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः–ई– 881 /दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा तथा मेरठ वृत्त, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कार्यरत उक्त सर्वेयरों को तत्काल अवमुक्त करते हुए निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंक्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) से प्राप्त निर्देश के अनुपालनार्थ प्रश्नगत सर्वे कार्य प्राथमिकता पर कराने हेतु प्रेषित।
4. गार्ड बुक/पत्रावली।

(सुधीर कुमार शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः–ई– 881 /दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश को उनसे हुई वार्ता के क्रम में सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य को प्राथमिकता पर पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित को यथोचित दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Transfer-former

OATH COMMISSIONER ... ALLAHABAD

Annexure No-7

13

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा।

पत्रांक 1055/10-1 दिनांक, आगरा, नवम्बर 20 2023

सेवा में,

1– मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

2– वन संरक्षक,
आगरा वृत्त, आगरा।

3– वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में जनपद आगरा में स्थित सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम का सर्वे किये जाने हेतु सर्वेयर की तैनाती के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 ई–52/10–2–8 दिनांक 17–11–2023

महोदय,

अनुरोधपूर्वक अवगत कराना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय आदेश सं0 ई–52/10–2–8 दिनांक 17–11–2023 जो आपको पृष्ठांकित है **(छायाप्रति संलग्न)**, के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में जनपद आगरा में स्थित सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम का सर्वे किये जाने हेतु निम्नलिखित सर्वेयर को लगभग एक माह/कार्य पूर्ण होने तक इस प्रभाग के नियन्त्रणाधीन सम्बद्ध/तैनात किया गया है–

क्रम संख्या	सर्वेयर का नाम (सर्वश्री)	नियमित तैनाती का मण्डल/वृत्त
1	संजीव कुमार यादव	आगरा वृत्त, आगरा
2	विजय सिंह	मेरठ वृत्त, मेरठ
3	कृष्ण पाल सिंह	कानपुर मण्डल, कानपुर

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सम्बन्धित सर्वेयर को इस प्रभाग अन्तर्गत उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें, ताकि प्रकरण में सर्वे की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(आरुषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट
उ0प्र0, आगरा

COMMISSIONER ... Court, ALLAHABAD

Annexure No.-8

14

कार्यालय उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश, आगरा।

पत्रांक 185(शि0कै0)/10–1 (एनजीटी) आगरा, दिनांक, दिसम्बर, 30 ,2023

सेवा में

जिलाधिकारी,
आगरा।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 529/2023 में पारित आदेश दिनांकित 06–11–2023 एवं उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1251/81–4–2023 दिनांक 30–10–2023 के निर्देशों के अनुपालन में सूरसरोवर पक्षी विहार के अधिसूचित भूमि 403.09 हे0 के फाइनल नोटिफिकेशन हेतु संयुक्त सर्वे सीमांकन के पश्चात् गाटावार विवरण एवं मानचित्रों का संयुक्त सत्यापन के संबन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय ज्ञाप का पत्रांक सं0 1013/10–1 दिनांक 15–11–2023

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय ज्ञाप पत्रांक सं0 1013/10–1 दिनांक 15–11–2023 द्वारा उपरोक्त विषयक कार्यावाही के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा संयुक्त सर्वे सीमांकन कराने हेतु उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सैक्चुरी प्रोजेक्ट, उ0प्र0, आगरा की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

समिति द्वारा प्रकरण से सम्बधित समस्त अभिलेखो का परीक्षण किया गया। इसके उपरान्त मौके की पैमाइश एवं अन्य बिन्दुओं का परिशीलन करते हुए कार्यावाही से संबंधित फिल्ड बुक व मानचित्र, आख्या के साथ संलग्न है। आख्या अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ सादर प्रस्तुत है।

<u>संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया,

(हस्ताक्षर)

(आरूषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

पत्रांक 185(शि0कै0)/ 10–1 NGT उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि – मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर को सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित–

(हस्ताक्षर)

(आरूषी मिश्रा)
उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट,
उ0प्र0, आगरा

R.G
20/01/2024

O/C

COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD

Annexure No-9

15

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चुरी प्रोजैक्ट,
उ0प्र0, आगरा।

संख्या: 44A /डीएलआरसी दिनांक: 24.01.2024

विषय: मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–529/2023 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2023 के अनुपालन में सूरसरोवर पक्षी विहार, कीठम आगरा की भूमि की सीमांकन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रस्तुत की गई संयुक्त सीमांकन आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.01.2024 को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई थी। जैसा कि सीमांकन आख्या के अवलोकन से एवं बैठक में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि ग्राम रूनकता के गाटा संख्या–18 क्षेत्रफल 0.980 हे0 भूमि पूर्व से सूरदास आरक्षित वन ब्लॉक में सम्मिलित है तथा यह भूमि सूरसरोवर पक्षी विहार की अधिसूचना सम्बन्धी अधिसूचित भूमि (403.090 हे0) में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रफल 15.415 हे0 में भी सम्मिलित है, जिसके कारण मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में सम्मिलित कुल क्षेत्रफल में से यह 0.980 हे0 भूमि की कमी परिलक्षित हो रही है, जिसके लिए ग्राम रूनकता के इस गाटा संख्या–18 क्षेत्रफल 0.980 हे0 भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में पुनः सीमांकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मूल अभिलेखों से सूरदास वन ब्लॉक की भूमि एवं ग्राम रूनकता के गाटा संख्या–18 क्षेत्रफल 0.980 हे0 भूमि के सीमांकन हेतु तकनीकी सर्वे टीम उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है।

भवदीय,

24/1/24

(अजय कुमार सिंह),
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
आगरा।

संख्या व दिनांक:तद

प्रतिलिपि– उप जिलाधिकारी, किरावली जिला आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अजय कुमार सिंह),
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन),
आगरा।

OATH COMMISSIONER
High Court, ALLAHABAD